



**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्त्तन के प्रस्ताव  
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

**भाग—4**

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमण्डल अंतर्गत 13.524 हे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए आटिकल फायबर केबल लाईन विछाने हेतु 13.524 हे वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: ०८/१०/२०२०

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
 छत्तीसगढ़  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
 छत्तीसगढ़, रायपुर



## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 — 2512840

ई—मेल: apecf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध-1ए/115-825/ 1853

नया रायपुर, दिनांक 19/10/2020

प्रति,

### प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन  
नवा रायपुर, अटल नगर

**विषय:**

**Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Rajnandgaon Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 13.524 ha. regarding.**

**संदर्भ:**

मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग का पत्र क्रमांक/तक.अधि/6001 दिनांक 01.09.2020

\* \* \* \*

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र— आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा राजनांदगांव जिला के राजनांदगांव वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अंबागढ़-चौकी, छुरिया, डोंगरगांव एवं मोहला ब्लॉक के अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि 13.038 है। एवं राजस्व वनभूमि 0.486 है। कुल रकबा 13.524 है। वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालोजर्मेंट रिलप की छायाप्रति:- प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/ CG/ OFC/42688/2019 आवंटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रु. 24,000/- जमा कराया गया है। पुष्टि हेतु चालान की छायाप्रति संलग्न।	2
3.	वन क्षेत्र का विवरण:- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा राजनांदगांव वनमण्डल अन्तर्गत वन परिक्षेत्र राजनांदगांव, बाघनदी, चौकी, मिस्री, मोहला, भेजटोला, बोरिया, देववाडवी, खड़गांव एवं खुज्जी के वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित आरक्षित वन 2.871 हैं, संरक्षित वन 10.167 हैं, राजस्व वन 0.486 हैं कुल आवेदित वन भूमि रकबा 13.524 है। भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपर्वतन हेतु प्रस्तावित है।	3-13
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:- राजनांदगांव वनमण्डल के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 68.915 है।	14

5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:- प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है।	15-19
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:- प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।	20-30
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव:- प्रपत्र - 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 152 करोड़ 70 लाख रु. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि प्रस्तावित वनक्षेत्र में भार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत आपूर्ति तथा आदिवासियों और बिछड़े समुदायों के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा प्रस्ताव में वन क्षेत्र की मांग न्यूनतम है।	31-38
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:- तीन पृष्ठीय टीप यूजर एजेंसी द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ.ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।	39-41
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:- प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	42
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही:- इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	43
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:- भाग-2 पर वन मंडलाधिकारी द्वारा दिनांक 19.05.2020 को स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा वन भूमि व्यवर्तन की अनुशंसा की गई है। फायबर केबल लाईन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.4 से 0.6 तक है।	44-61
12.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र:- प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्त्विक स्थल प्रमावित नहीं हो रहा है।	62
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	63-66
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा है. में:- राजनांदगांव वनमंडल का कुल वन भूमि (रकबा है. में) रकबा 92837.551 है. है।	67
15.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा है. में:- राजनांदगांव वनमंडल के अंतर्गत कुल 16 प्रकरणों में 536.003 है. वनभूमि का व्यवर्तन वन संरक्षण, अधिनियम 1980 के अंतर्गत किया गया है।	68
16.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा है. में:- व.स.अ.-1980 तहत राजनांदगांव वनमंडल के अंतर्गत इसी श्रेणी में कोई भी प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है।	69
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है और ना ही प्रस्तावित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है।	70

	ही प्रस्तावित है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है।	
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):— आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र क्रमांक 190 दिनांक 07.01.2020 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	71-72
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):— प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि समिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 102 दिनांक 07.01.2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव के संलग्न है।	73-78
20.	पंजीयन क्रमांक—पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):— विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक-2 अनुसार है।	79
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. मुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:— ऑप्टिकल फायबर केबर लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण क्षेत्र नहीं है अतएव प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है तदाशय का वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल का प्रतिवेदन संलग्न है।	80

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में [www.parivesh.nic.in](http://www.parivesh.nic.in) पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्थीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:—

1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग-4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)  
६/८ छत्तीसगढ़

